फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

धनराज बनाम मु. राधा उर्फ वगै.

—98

मुकदमा नम्बर : 135/165/09

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विवरण
	10/1/25	प.क. 3पा मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमू के पाठ का पाठ स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है विरोध दपक को मिसल/जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बेकाम हुआ होकर 3प नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:24:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विशेष विवरण

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–135/165/09

उनवान

1. धन्ना पुत्र भोमा
2. सूरजभान पुत्र भोमा
3. श्योनारायण पुत्र भोमा
4. सरदारा पुत्र भोमा
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम निन्दोला, पटवार हल्का खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. मु0 राधा देवी पत्नि हनुमान सहाय
2. मु0 बरजी देवी पत्नि चौथूराम
3. भगवानसहाय पुत्र साधूराम
4. भींवाराम पुत्र साधूराम
5. मु0 बरजी देवी बेवा साधूराम
6. मु0 सोनी पुत्री साधूराम
7. मु0 नानी पुत्री साधूराम
8. मु0 बिमला पुत्री साधूराम
9. साद्या पुत्र डेडा
10. मु0 गीता देवी पत्नि रिछपाल
    समस्त 1 ता 10 जातियान् अहीर, निवासी ग्राम निन्दौला, पटवार हल्का खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरुस्ती अभिलेख व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–10.01.2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि कृषि भूमियां हाल पैमाइस में बने खसरा नम्बर 7411 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 7412 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 7413 रकबा 1.72 है0, खसरा नम्बर 7414/9182 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 7415 रकबा 0.91 है0, खसरा नम्बर 9433/9183 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 7414 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 7416 रकबा [illegible] ग्राम निन्दौला में स्थित है तथा इस वाद में ये भूमियां ही विवाद[illegible] है। [illegible] भूमि साबिक खसरा नम्बर 3702/8 रकबा 17 विघा 19 बिस्वा से बने है तथा इन्हीं खसरा नम्बरान् के अंश व भाग हैं। हाल पैमाइस के दौरान पैमाइस विभाग के कारकूनान द्वारा जो रिकॉर्ड तैयार किया गया वह गलत व त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड तैया किया जाकर साबिक रिकॉर्ड में कांट छांट कर दी गई तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.06 14:24:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

साबिक खसरा नम्बरान् की भूमियां गलत ढंग से खातेदारी में अंकित कर दी गई जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार दौराने पैमाइश किसी प्रकार का परिवर्तन करने का सेटिलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथा इस सम्बन्ध में दौराने पैमाइश राजस्थान सरकार द्वारा जरिये परिपत्र दिनांक 23.05.1994 के स्पष्ट निर्देश जारी किए गये थे कि पुराने खाता नम्बर का रकबा पूर्ववत ही रहेगा। इसके बावजूद भी भू–प्रबन्ध कार्मियों ने मन मनजी से एक खाते की भूमि दूसरे खाते में दर्ज कर घोर त्रुटियां की जिस कारण खातेदार काश्तकारों को गम्भीर परेशानियां हो रही है तथा वर्तमान मानचित्र के आधार पर सीमाज्ञान करवाने पर आपस में झगडे फिसाद होते है तथा मूल रुप से कब्जे काश्त में व्यवधान व विवाद उत्पन्न हो रहे है। विवादग्रस्त भूमियां भी इन्ही त्रुटियों से ग्रसित हैं। वादीगण रोजाना की सीमा विवादों से परेशान होने के कारण माह अप्रेल 2009 में सीमाज्ञान कर पत्थर गढी करवाना चाहते थे जिस कारण हाल मानचित्र हल्का पटवारी के यहां भूमियों को देखा तो वादीगण के मन में कुछ सीमा बदली हुई देखकर सन्देह हुआ जिस कारण हाल व साबिक नक्शे की नकल जयपुर से मंगवाई तो हाल नक्शे में काफी परिवर्तन नजर आया और यदि इस हाल नक्शे से सीमाज्ञान करवाया जाता तो अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते क्योंकि दूसरे काश्तकारों की भूमियां हमारे खाते में चढा रखी है और हमारी भूमियां दूसरों के खाते में चढाई हुई है। यद्यपि रकबा बराबर कर दिया गया। साबिक व वर्तमान मानचित्रों का मिलान किया जाता है तो वादीगण की भूमियां हाल खसरा नम्बर 7414 रकबा 0.12 है0 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम चढी हुई हैं। और खसरा नम्बर 7416 में 0.18 है0, प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 के खाते में चढी हुई है। इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 7433/9183 रकबा 0.27 है0 जो वादीगण के खाते में दर्ज है, वह मूल रुप से 3702/8 का भाग है तथा हाल खसरा नम्बर 7413 में दक्षिण पश्चिमी कोण की भूमि 0.03 है0 हम वादीगण के खाते में गलत चढाकर साबिक नक्शे को बदल दिया गया जबकि यह अंश साबिक खसरा नम्बर 3702/10 का है जिसके वर्तमान खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 10 है। वादीगण विवादग्रस्त भूमियों में साबिक खसरा नम्बर 3702/9 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा की भूमियों के ही वर्तमान खातेदार है। लेकिन वादीगण के साबिक खसरा नम्बर 3702/9 की भूमियां से बने हाल खसरा नम्बर 7414 रकबा 0.12 है0 सम्पूर्ण को तथा हाल खसरा नम्बर 7416 का उत्तरी हिस्से का 0.18 है0 रकबा गलत ढंग से प्रतिवादीगण के खाते में गलत अंकित कर दिया तथा मिलान क्षेत्रफल गलत तैयार कर क्रमशः साबिक नम्बर 3702/2 व 3702/10 का अंश बता दिया ... कारण यह वाद वादीगण को वास्ते दुरुस्ती प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वादीगण को वाके ग्राम निन्दौला के विवादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 7414 रकबा 0.12 है0 सम्पूर्ण व 7416 के उत्तरी भाग के रकबे 0.18 है0 जो कि साबिक खसरा नम्बर 3702/9 के भाग व अंश है का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:24:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती व मानचित्र में खसरा नम्बर 7416 में तरमीम करने हेतु प्रतिवादी संख्या 11 को आदेशित करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि वे मौके व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति यथावत कायम रखें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व 3 ता 5 की ओर से जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 7414 रकबा 0.12 है0 प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 7414 पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज काश्त है तथा भूमि खसरा नम्बर 7414 विवादग्रस्त नहीं है। उक्त आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने पूर्व खातेदार से दिनांक 01.03.2004 को क्रय किया है। दौराने पेमाईश सेटलमेन्ट विभाग ने किसी भी प्रकार का रकबा परिवर्तन नहीं किया गया है तथा मिन खसरा नम्बर पूर्व साबिक खसरा नम्बर से रकबा बराबर है तथा राजस्व विभाग में कर्मचारियों द्वारा पूर्व साबिक खसरा नम्बर से नये वर्तमान खसरा नम्बर में कोई रकबा परिवर्तन नहीं किया गया है। वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 7414 रकबा 0.12 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 3702/7/2 रकबा 0.12 है0 का भाग रहा है तथा साबिक खसरा नम्बर 3702/7/2 के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्व खातेदार काश्तकार रहे है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त खसरा नम्बर 7414 का क्रय किया है इस प्रकार वादीगण के वर्तमान खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 7433/9183 रकबा 0.27 है0 साबिक खसरा नम्बर 3702/9 का रकबा 0.27 है0 का भाग है तथा वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में खसरा 7433/9183 को साबिक खसरा नम्बर 3702/8 का हिस्सा गलत वर्णित किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की वर्तमान खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 7414 रकबा 0.12 है0 उसके खाता संख्या 217 की भूमि खसरा नम्बर 7408, 7409, 7437, 7438, 7439, 7440/9184, 7505 कुल किता 8 का कुल रकबा 2.71 है0 के लगवा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपनी खाता संख्या 161 की सम्पूर्ण भूमि पर काबिज काश्त है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य वर्षो से सीमा का निर्धारण हो रखा है उसी अनुसार व काबिज काश्त है तथा वादी द्वारा अपने वाद पत्र में दर्शित भूमि खसरा नम्बर 7433/9183 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की भूमि खाता संख्या 165 से काफी दूरी पर स्थित है इस प्रकार वादीगण द्वारा उक्त वा[illegible] गलत तथ्य अंकित कर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा वादीगण न्यायालय के समक्ष [illegible] से नहीं आने के कारण वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:24:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तहसीलदार चौमूं से तथ्यात्मक रिपोर्ट [illegible] गई। तहसीलदार चौमूं ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 01.01.2025 में कथन किया कि खेजरोली ए के राजस्व ग्राम निन्दौला के

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]ता संख्या 122 आराजी खसरा नम्बर 7411 रकबा 0.07 है0 खसरा नम्बर 7412 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0कुआ, खसरा नम्बर 7413 रकबा 1.72 है0 किस्म चाह खसरा नम्बर 7415 रकबा 0.91 है0 किस्म चाह, 7433/9183 रकबा 0.27 है0 किस्म चाह, खसरा नम्बर 9317/7414 रकबा 0.0076 किस्म गै0मु0रास्ता, खसरा नम्बर 9318/7414 रकबा 0.1624 है0 किस्म बारानी कुल किता 7 का कुल रकबा 3.15 है0 खातेदार वादीगण है। पैमाईस से पूर्व के नक्शे व वर्तमान नक्शे में अन्तर बताया गया है जो सत्य है। आराजी खसरा नम्बर 7414 रकाब 0.12 है0, वर्तमान खसरा नम्बर 9315/7114 रकबा 0.0104 किस्म गै0मु0रास्ता खसरा नम्बर 9316/7414 रकबा 0.1096 किस्म बारानी कुल रकबा 0.12 है0, वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार बरजी देवी पत्नि चौथूराम, राधा देवी पत्नि हनुमान दर्ज (प्रतिवादीगण 1 व 2) ना है जबकि पैमाइस पूर्व नक्शा के अनुसार वर्तमान नक्शे में वादीगण के किये जाने की अभिशंषा की जाती है। खसरा नम्बर 7416 रकबा 0.92 है0 किस्म चाह खातेदार साधुराम पुत्र भगताराम जाति अहीर यादव वगै0(जमाबन्दी अनुसार दर्ज) पैमाइस पूर्व नक्शे व वर्तमान नक्शे की तुलना अनुसार खसरा नम्बर 7416 रकबा 0.92 है0 में से 0.18 है0 वादीगण के किये जाने की अभिशंषा की जाती है। व खसरा नम्बर 7413 रकबा 1.72 है0 किस्म चाह में से 0.03 है0 खसरा नम्बर 7416 में किया जाने की अभिशंषा की जाती है। खसरा नम्बर 7433/9183 रकबा 0.27 है0 किस्म चाही जमाबन्दी में वादीगण के नाम दर्ज है जबकि पैमाइस पूर्व व वर्तमान नक्शा की तुलना करने से खसरा नम्बर 7433 में किया जाना मिलान क्षेत्रफल सुधार पूर्व खसरा नम्बर 3702/8 सम्मिलित किया जाने की अभिशंषा की जाती है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रदर्श संख्या 1 से प्रदर्श संख्या 9 पेश किये गये है। साक्ष्य के रुप में साक्ष्य शपथ–पत्र PW1 धन्ना पुत्र भोमा, PW2 हनुमानसहाय पुत्र सेडू, PW3 नन्दाराम पुत्र पराग, PW4 श्योनारायण पुत्र भोमाराम के पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस मे अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने उन्ही तथ्यों को दोहराया जोकि वाद पत्र एवं जवाब दावा में अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ पत्र एवं रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं का बगौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। विवादित भूमि में तहसीलदार चौमूं के द्वारा दुरुस्ती करने की अभिशषा की गई है। [illegible] एवं न्यायालय अभिमत में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना [illegible] होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:24:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादीगण का वाद पत्र [illegible] डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 7412 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 7413 रकबा 1.72 है0, खसरा नम्बर 7414/9182

Scanned with OKEN Scanner

बा 0.17 है0, खसरा नम्बर 7415 रकबा 0.91 है0, खसरा नम्बर 9433/9183 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 7414 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 7416 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम निन्दौला तहसील चौमूं, जिला जयपुर में मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 02.01.2025 तहसीलदार चौमूं के अनुसार दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं दिनांक 02.01.2025 निर्णय की जुज रहेगी। तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे। डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:24:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–135/165/09
उनवान–धन्ना बनाम राधा
निर्णय दिनांक–10.01.2025

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–135/165/09

उनवान

1. धन्ना पुत्र भोमा
2. सूरजभान पुत्र भोमा
3. श्योनारायण पुत्र भोमा
4. सरदारा पुत्र भोमा

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम निन्दोला, पटवार हल्का खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. मु0 राधा देवी पत्नि हनुमान सहाय
2. मु0 बरजी देवी पत्नि चौथूराम
3. भगवानसहाय पुत्र साधूराम
4. भींवाराम पुत्र साधूराम
5. मु0 बरजी देवी बेवा साधूराम
6. मु0 सोनी पुत्री साधूराम
7. मु0 नानी पुत्री साधूराम
8. मु0 बिमला पुत्री साधूराम
9. साद्या पुत्र डेडा
10. मु0 गीता देवी पत्नि रिछपाल

समस्त 1 ता 10 जातियान् अहीर, निवासी ग्राम निन्दौला, पटवार हल्का खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरुस्ती अभिलेख व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–135/165/09

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:24:58 IST
Reason: SelfAttested

विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 7411 रकबा 0.0[illegible] है0, खसरा नम्बर 7412 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 7413 रकबा 1.72 है0, खसरा नम्बर 7414/9182 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 7415 रकबा 0.91 है0, खसरा नम्बर [illegible]3/9183 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 7414 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 7416 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम निन्दौला तहसील चौमूं, जिला जयपुर में मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं दिनांक 02.01.2025 के

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–135/165/09
उनवान–धन्ना बनाम राधा
निर्णय दिनांक–10.01.2025

सार दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं दिनांक 02.01.2025 डिक्री का जुज रहेगा। तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 10.01.2025 को जारी किया गया।

दस्तखत.......

मोहर

ओहदा...........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	2
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	1
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	3

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:24:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner